**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय**

**रक्षा विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 724**

**17 दिसम्बर, 2018 को उत्तर के लिए**

**डिफेंस एयरपोर्ट, श्रीनगर हेतु भूमि क्षतिपूर्ति**

**724. मीर मोहम्मद फैयाज:**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

1. क्या यह सच है कि जिन लोगों की भूमि का उपयोग डिफेंस एयरपोर्ट, श्रीनगर के लिए किया जा रहा है, उन्हें निर्धारित दर के अनुसार उचित क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया गया है;
2. यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
3. क्या यह भी सच है कि वर्ष 2017-18 में किसानों और सरकार के बीच निर्धारित की गई दर किसानों को अभी तक नहीं दी गई है;
4. यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
5. यदि नहीं, तो सरकार द्वारा किसानों को कब तक निर्धारित दर उपलब्ध करवाने की योजना है?

**उत्तर**

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ.सुभाष भामरे)**

1. से (ग): रक्षा मंत्रालय ने जम्मू व कश्मीर आरएआईपी अधिनियम 1968 के तहत 2,34,25,76,762/- रु. की अनुमानित लागत पर बडगाम जिले के करेवा दामोदर और करालपोरा गांवों में आवश्यक भूमि जो 3879 कनाल 12 मरला (3840 कनाल 15 मरला निजी भूमि और 38 कनाल 17 मरला राज्य सरकार की भूमि) है, के अधिग्रहण के लिए दिनांक 04.03.2011 को स्वीकृति दी । डीईओ द्वारा 80% क्षतिपूर्ति के लिए 1,80,05,95,600/- रु. की राशि उप-आयुक्त, बडगाम के पास जमा करा दी गई । भारत सरकार ने वर्ष 2017-18 में किसानों के साथ कोई दर तय नहीं की है।

(घ)और (ड.): प्रश्न नहीं उठता ।

\*\*\*\*\*\*